

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

श्री. देवी बनाम श्री. नारायण

किस मुकदमा :- 188, 925 रा. कारत. अधि. 1955

प्रकरण संख्या 17 सन् :- 18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5.2.18	अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक (2.3.18) को पेश हो।	
12.3.18	<p>उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</p> <p>बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 22.4.18 को पेश हो।</p> <p>आदेशानुसार</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>रीडर</p>	<p>DN 1167-68</p> <p>12/2/2018</p>
27.6.18	<p>24.4.18</p> <p>पीठासीन अधिकारी के आज मुकामालय से बाहर करे/अवसर पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 22.6.18 को पेश हो।</p> <p>आदेशानुसार</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>रीडर</p> <p>न्याय आपके द्वार अभियान - 2018</p> <p>पत्रावली के माध्यम से नसीराबाद के जज को वादी व प्रतिवादी के बीच उपस्थित 6 वादों में नसीराबाद के जज के निर्णय दिए कि इन वादों में वादी की पत्रावली करनी है तथा वाद नौर उक्त प्रस्तावित किया जावे वादों के उपस्थित नसीराबाद के जज को पत्रावली के आदेश पत्रों में पेश हो। वाद नौर उक्त प्रस्तावित किया जाता है। पत्रावली पेश हो गई है। नसीराबाद के जज को पत्रावली के आदेश पत्रों में पेश हो।</p> <p>पीठासीन अधिकारी</p> <p>लोक अदालत कैंप कोर्ट</p>	<p><i>[Fingerprint]</i></p> <p>नसीराबाद</p>